

Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 88 : Liability in case of company in liquidation

- (1) When any company is being wound up whether under the orders of a court or Tribunal or otherwise, every person appointed as receiver of any assets of a company (hereafter in this section referred to as the “liquidator”), shall, within thirty days after his appointment, give intimation of his appointment to the Commissioner.
 - (2) The Commissioner shall, after making such inquiry or calling for such information as he may deem fit, notify the liquidator within three months from the date on which he receives intimation of the appointment of the liquidator, the amount which in the opinion of the Commissioner would be sufficient to provide for any tax, interest or penalty which is then, or is likely thereafter to become, payable by the company.
 - (3) When any private company is wound up and any tax, interest or penalty determined under this Act on the company for any period, whether before or in the course of or after its liquidation, cannot be recovered, then every person who was a director of such company at any time during the period for which the tax was due shall, jointly and severally, be liable for the payment of such tax, interest or penalty, unless he proves to the satisfaction of the Commissioner that such non-recovery cannot be attributed to any gross neglect, misfeasance or breach of duty on his part in relation to the affairs of the company.
-

धारा 88 : समापन के अधीन कंपनियों की दशा में दायित्व

- (1) जब किसी कंपनी का किसी न्यायालय या अधिकरण के आदेशों के अधीन या अन्यथा परिसमापन किया जा रहा है तो कंपनी की किन्हीं आस्तियों के लिए प्रापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "परिसमापक" कहा गया है), अपनी नियुक्ति के तीस दिन के भीतर आयुक्त को अपनी नियुक्ति की संसूचना देगा।
- (2) आयुक्त ऐसी जांच करने के पश्चात् या ऐसी सूचना मंगाने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, उस तारीख से तीन मास के भीतर, जिसको वह समापक की नियुक्ति की सूचना प्राप्त करता है, समापक को वह रकम अधिसूचित करेगा, जो उसके मत में किसी ऐसे कर, ब्याज या शास्ति को, जो तब कंपनी द्वारा संदेय है या जिसके तत्पश्चात् संदेय हो जाने की संभावना है, चुकाने के लिए पर्याप्त है।
- (3) जब किसी प्राइवेट कंपनी को परिसमाप्त किया जाता है और इस अधिनियम के अधीन कंपनी पर किसी अवधि के लिए, चाहे समापन के प्रक्रम में या तत्पश्चात् अवधारित कोई कर, ब्याज या शास्ति, जिसको वसूल नहीं किया जा सकता है, तब प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अवधि, जिसके लिए कर शोध्द है, के दौरान कंपनी का निदेशक था, संयुक्त रूप से और पृथकतः ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का, सिवाय तब के जब वह आयुक्त के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि ऐसी न की गई वसूली कंपनी के कार्यों के संबंध में उसकी गंभीर उपेक्षा, दुष्करण या कर्तव्य भंग के कारण नहीं हुई है, संदाय करने के लिए दायी होगा।